छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1046/2008

1. श्री इंदरचन्द सोनी, – *अपीलार्थी*
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं
जनशक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रायपुर के समक्ष दिनांक 28.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.05.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निपटारा निर्धारित समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.09. 2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में संचालनालय, तकनीकी शिक्षा के जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2008 को उनके यहाॅ प्राप्त हुआ था और उनके द्वारा आवेदन संबंधित नहीं होने के कारण संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के यहाॅ भेज दिया गया । संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा वांछित जानकारी अपीलार्थी की ओर दिनांक 06.06.2008 को निःशुल्क प्रेषित कर दी और कुछ जानकारी शेष रही थी, वह दिनांक 06.12.2008 को उन्हें भेज दिया गया । अपीलार्थी ने पूर्व में दिये आवेदन दिनांक 28.03.2008 को कोरियर से भेजना बताया, किन्तु संचालनालय, तकनीकी शिक्षा द्वारा वह आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होना बताया गया है और अपीलार्थी ने प्राप्त जानकारी के संबंध में अवश्य यह बताया है कि केवल अप्रमाणित जानकारी दी गई है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए शास्ति की कार्यवाही तो आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, किन्तु प्रकरण में यह निर्देश अवश्य दिये जाते हैं कि अपीलार्थी कोरियर के यहाॅ से यदि पूर्व का पत्र दिनांक 28.03.2008 संचालनालय में दिया गया था तो वहाॅ किस व्यक्ति ने उसकी पावती दी है, उसकी छायाप्रति संचालक, तकनीकी शिक्षा के यहाॅ प्रेषित करें और संचालक, तकनीकी शिक्षा को यह अनुशंसा की जाती है कि उनके कार्यालय से पत्र गुमाने के संबंध में जो भी कर्मचारी उत्तरदायी हो, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करें । साथ ही संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब एक सप्ताह में

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दी गई जानकारी को प्रमाणित करके अपीलार्थी को प्रदान की जावे । साथ ही प्रकरण में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण की ओर से राशि 250/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com